

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 85/2024

वादी :-

1. समूडी पत्नी स्व.श्री मदरूप राम
2. नाथूराम पुत्र स्व. श्री मदरूप राम
3. निरमा पुत्री स्व.श्री मदरूप राम पत्नी अशोक जातियान जाट निवासीगण जाटों का बास ग्राम खेजडला तहसील बिलाड़ा
4. संहिता देवी पुत्री स्व. मदरूप राम पत्नी प्रेमराम
5. कंचन पुत्री स्व. श्री मदरूप राम पत्नी सुरेश राम जातियान जाट निवासीगण ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति:-वादीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी - सरकारी पेरोकार।

निर्णय

दिनांक:- 10/09/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खेजडला, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 21 रकबा 1.6908 हैक्टेयर, खसरा संख्या 22 रकबा 1.4886 हैक्टेयर, खसरा संख्या 41 रकबा 0.0662 हैक्टेयर, खसरा संख्या 42 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 43 रकबा 6.7713 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 5 के पिता मदरूप राम व अन्य दर्ज सहखातेदार की संयुक्त खातेदारीसुदा भूमि है। जिसमें मदरूप राम का 1/24 वाँ हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त खसरान की भूमि के खाता संख्या चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार 557 है। उपरोक्त खसरान की भूमि को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में खातेदार जीता वल्द बिलदा कौम जाट व अन्य दर्ज सहखातेदार के नाम दर्ज थी। खातेदार जीता फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि में खातेदार जीता के स्थान पर उसके वारिस मंगाराम, मदाराम पिसरान जीताराम, लखाराम पुत्र मंगलाराम का नाम दर्ज किया गया। मदाराम वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 5 के पिता है तथा मदाराम का स्वर्गवास दिनांक 16.05.2024 को हो चुका है। जीताराम फौत होने पर जीताराम के फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 5 के पिता मदरूप राम का घर पर

सहायक कलक्टर

एवं उप खण्ड अधिकारी

बिलाड़ा

प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम मदाराम हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कर दिया गया तब से उक्त फौतेदगी म्यूटेशन के आधार पर वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 5 के पिता मदरूप राम का नाम राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में मदाराम दर्ज चला आ रहा है जबकि मदाराम का सही नाम मदरूप राम है। जिसके सम्बंध में सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक डायरी, मृत्यु प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ पेश है। जिसमें मदाराम का सही नाम मदरूप राम दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में वादीगण द्वारा उनके पतिधपिता का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने वादीगण को बताया कि वादीगण के आधारकार्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम मदरूप राम दर्ज है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में भी वादीगण के पति/पिता का नाम मदरूप राम दर्ज है व वादीगण के पतिधपिता का नाम उपरोक्त सरकारी दस्तावेज में भी मदरूप राम दर्ज है, इसलिए जब तक वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण के पति/पिता के दर्ज नाम मदाराम के स्थान पर मदरूप राम दुरुस्त नहीं हो जाता तब तक वो वादीगण के पति/पिता का फौतेदगी म्यूटेशन वादीगण के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता तथा वादीगण द्वारा वादीगण के पति/पिता के वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम मदाराम के स्थान पर उनके सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम मदरूप राम दुरुस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादीगण के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु श्रीमान सक्षम है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण के पति/पिता का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम मदाराम के स्थान पर उनका सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम मदरूप राम दुरुस्त किये जाना आवश्यक है। क्योंकि वादीगण के पति/पिता के घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम मदाराम वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज होने से उनका फौतेदगी म्यूटेशन वादीगण के नाम दर्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम उनके उपरोक्त सरकारी दस्तावेज से मिलान नहीं करता है। इसलिए वादीगण के पतिधपिता के वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम मदाराम के स्थान पर उनका उपरोक्त सरकारी दस्तावेज अनुसार दर्ज सही नाम मदरूप राम दुरुस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य दर्ज सहखातेदार को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया है, क्योंकि वादीगण द्वारा उनके विरुद्ध प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार का कोई अनुतोष चाहा है इसलिए वो प्रस्तुत वाद आवश्यक पक्षकार नहीं है तथा प्रस्तुत वाद में माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करने पर उनके हक व अधिकार प्रभावित होने की संभावना नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में वादीगण के पति/पिता मदरूप राम के नाम उनके पिताजी जीताराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय उनका घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम मदाराम दर्ज करने, तब से राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में मदाराम दर्ज चला आने से, वादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में उनके पतिधपिता के दर्ज नाम मदाराम के स्थान पर सही नाम मदरूप राम दुरुस्त



सहायक कलेक्टर  
 एम सप खण्ड अधिकारी  
 बिलाड़ा

किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा वादीगण के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार करने पर की इस हेतु श्रीमान सक्षम होने पर वादकारण बमुकाम् ग्राम खेजडला, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम खेजडला, तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 21 रकबा 1.6908 हैक्टेयर, खसरा संख्या 22 रकबा 1.4886 हैक्टेयर, खसरा संख्या 41 रकबा 0.0662 हैक्टेयर, खसरा संख्या 42 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 43 रकबा 6.7713 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में वादीगण के पतिधपिता के दर्ज घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम मदाराम पुत्र जीताराम हिस्सा 1/24 जाति जाट सा. देह खातेदार के स्थान पर वादीगण के पतिधपिता के सरकारी दस्तावेज में दर्ज अनुसार सही नाम मदरूप राम पुत्र जीताराम हिस्सा 1/24 जाति जाट सा. देह खातेदार दुरुस्त किये जाने की डिक्री फरमावे। मुताबिक डिक्री के अनुसार दुरुस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खेजडला तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा सं. 21 रकबा 1.6908 हैक्टेयर, खसरा सं. 22 रकबा 1.4866 हैक्टेयर, खसरा सं. 41 रकबा 0.0662 हैक्टेयर, खसरा सं. 42 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा सं. 43 रकबा 6.7713 हैक्टेयर चालू जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में वादीगण के पिता/पति का नाम मदाराम दर्ज है जो मदाराम के पिता जीताराम के फौत होने पर विरासत नामा. के जरिये दर्ज हुआ है। वादीगण के पति/पिता मदाराम द्वारा पेश निजी/सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, बैंक डायरी व मृत्यु प्रमाण पत्र में वादीगण के पिता/पति का नाम मदरूपराम दर्ज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाब के पद सं. 1 में वर्णित खसरान की चालू जमाबंदी 2073 से 2076 में जाति जाट सा. देह खातेदार के स्थान पर उनके उपरोक्त निजी/सरकारी दस्तावेज के आधार पर शुद्ध नाम मदरूपराम पुत्र जीताराम हि. 1/24 जाति जाट सा. देह खातेदार शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की जाती है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसमें शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र नाथूराम पुत्र मदरूपराम का पेश किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2021 से 2023 के खसरा नम्बर 43, 21, 22, 41, 42 ग्राम खेजडला, प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2053 से 2056, प्रदर्श 3 आधार कार्ड, प्रदर्श 4 बैंक डायरी, प्रदर्श 5 परिचय पत्र, प्रदर्श 6 मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्शित करवाये गये।


सहायक कलक्टर  
उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा



पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड मदरूप राम, प्रदर्श 2 पहचान पत्र मदरूपराम, प्रदर्श 3 परिवार राशन कार्ड मदरूपराम, प्रदर्श 4 बैंक डायरी मदरूपराम, प्रदर्श 5 मृत्यु प्रमाण पत्र मदरूपराम, आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण के पति/पिता के सरकारी दस्तावेजात में नाम मदरूपराम पुत्र जीताराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम मदाराम पुत्र जीताराम के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं कर पा रहा है, इस कारण वादीगण के राजस्व रेकॉर्ड में अपने पिता/पति का नाम मदरूपराम पुत्र जीताराम की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने मदाराम पुत्र जीताराम के स्थान पर मदरूपराम पुत्र जीताराम किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम खेजडला के खसरा सं. 21 रकबा 1.6908 हैक्टर, खसरा सं. 22 रकबा 1.4866 हैक्टर, खसरा सं. 41 रकबा 0.0662 हैक्टर, खसरा सं. 42 रकबा 0.0324 हैक्टर, खसरा सं. 43 रकबा 6.7713 हैक्टर चालू जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के पिता/पति मदाराम पुत्र जीताराम के स्थान पर मदरूपराम पुत्र जीताराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

  
(मुदला शेखावत)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(मुदला शेखावत)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा  
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण :-

1. समूडी पत्नी स्व.श्री मदरूप राम
2. नाथूराम पुत्र स्व. श्री मदरूप राम
3. निरमा पुत्री स्व.श्री मदरूप राम पत्नी अशोक जातियान जाट निवासीगण जाटों का बास ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा
4. संहिता देवी पुत्री स्व. मदरूप राम पत्नी प्रेमराम
5. कंचन पुत्री स्व. श्री मदरूप राम पत्नी सुरेश राम जातियान जाट निवासीगण ग्राम बीरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाडा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 85/2024

निर्णय

दिनांक :- 10/09/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम खेजडला के खसरा सं. 21 रकबा 1.6908 हैक्टर, खसरा सं. 22 रकबा 1.4866 हैक्टर, खसरा सं. 41 रकबा 0.0662 हैक्टर, खसरा सं. 42 रकबा 0.0324 हैक्टर, खसरा सं. 43 रकबा 6.7713 हैक्टर चालू जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण के पिता/पति मदाराम पुत्र जीताराम के स्थान पर मदरूपराम पुत्र जीताराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।



(मदुला शेखावत)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाडा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।



  
 (मुदला शेखावत)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बिलाड़ा